न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 18/ 22 वर्ष 2022

जीसीएम संख्या :–2022/147

बउनवानी:–1. हनुमान पुत्र शंकर लाल प्रजापत निवासी वार्ड नम्बर 9 कुम्हारो का मोहल्ला शिवाड
2. हरिराम पुत्र मूलचन्द मीना निवासी वार्ड नम्बर 9 कुम्हारो का मोहल्ला शिवाड
3. रविकुमार पुत्र बद्री लाल जांगिड निवासी वार्ड नम्बर 9 कुम्हारो का मोहल्ला शिवाड
4. फूलचन्द पुत्र भवंर लाल सैनी निवासी वार्ड नम्बर 9 कुम्हारो का मोहल्ला शिवाड
5. भरतराम पुत्र रामकरण जांगिड निवासी वार्ड नम्बर 9 कुम्हारो का मोहल्ला शिवाड

बनाम

1. रामरतन पुत्र माधोलाल जाट निवासी महापुरा तह0 चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत शिवाड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड़ तह0 चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व पत्रावली संख्या 72 दायर दिनांक 18.2.2019 निर्णय दिनांक 6.12.2019 मे जारी पटटा संख्या 77 दिनांक 23.12.2019 ग्राम पंचायत शिवाड अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:–1. श्री अजय शेखर — वकील प्रार्थी
2. श्री उमांशकर — वकील अप्रार्थी 1

–: निर्णय :– दिनांक :– 03.12.2024

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड द्वारा पत्रावली संख्या 72 दायर दिनांक 18.2.2019 निर्णय दिनांक 6.12.2019 मे जारी पटटा संख्या 77 दिनांक 23.12.2019 को रामरतन पुत्र माधोलाल ग्राम पंचायत शिवाड जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया एवं विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत शिवाड मे स्थित वार्ड नम्बर 9 मोहल्ला कुम्हारान मे एक सार्वजनिक रास्ता है इसके ठीक पीछे तालाब है इस रास्ते से शिवाड मंदिर के पीछे स्थित पहाड से बरसाती पानी निकल कर तालाब मे पहुॅचता है तथा सामान्य दिनों मे रोजमर्रा के पानी की इसी स्थान से निकासी होती है इसी रास्ते के एक छोर पर सार्वजनिक हेण्डपम्प लगा है तो दूसरी ओर बिजली का पोल है, हेण्डपम्प का पानी इसी रास्ते से तालाब मे ज़ाता है। ग्राम पंचायत ने विपक्षी को बेजा फायदा पहुॅचाने की गरज से इसी सार्वजनिक जमीन का चुपचाप विपक्षी के नाम पटटा बना दिया। इस निर्णय के तीन साल बाद जब विपक्षी इस स्थान पर निर्माण करने लगा तब उसके पास पटटा होने के तथ्यो का पता चला। इस पटटा से मोहल्ले के वाशिंदो को पानी की निकासी नही होने से भारी परेशानी होगी। अतः पंचायत प्रावधानो के विरूद्व जारी पटटा खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत ने आलोच्य निर्णय करने से पहले भूमि विक्रय के आज्ञात्मक प्रावधानो की पालना नही कर रास्ते व नाले की भूमि का पटटा जारी किया गया है उक्त स्थान से होकर सैकडो वर्षो से पहाड का पानी बहकर तालाब मे जाता है अर्थात उक्त पटटा बहाव क्षेत्र मे दिया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि को ग्राम पंचायत नियम की धारा 157 के तह आवंटन किया गया है तथा उक्त नियमों मे मौके पर पचास [illegible] बना होना चाहिए किन्तु उक्त पटटे सें संबंधित भूमि का आज भी रास्ते के रूप मे उपयो[illegible] रहा है। पंचायत नियम, 157 के तहत जारी पटटे मे पुराने कब्जे एवं उसके [illegible] कर निर्णय में करना होता है किन्तु आलोच्य निर्णय में इस संबंध में एक [illegible] पुराना क[illegible]ते हुए मात्र 200/–रू मूल्य पर महत्वपूर्ण भूमि [illegible] गया है। यह तर्क [illegible]या कि विपक्षी ग्राम महापुरा का निवासी है उसका राशन कार्ड वोटर [illegible] आदि महापुरा ग्राम के [illegible] से.है

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:01:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(निगरानी संख्या 18/2022 उनवानी हनुमान बनाम रामरतन वगै.)

इसी मोहल्ले मे उसने चार वर्ष पूर्व इस रास्ते के समीप मकान बनाया है ऐसे मे धारा 157 का लाभ पाने का हकदार नही है। ग्राम पंचायत के इस निर्णय के बाद अब विपक्षी उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कर रास्ते व उसमे हो रहे पानी के बहाव को समाप्त करना चाहता है यदि अप्रार्थी उक्त कार्य मे सफल हो गया तो सारे मोहल्ले मे पानी निकासी की समस्या के साथ–साथ स्वास्थ्य, आवागमन सहित कई समस्याऐ पैदा हो जावेगी। यह है कि आदेश जैर निगरानी की जानकारी दिनांक 30.7.2022 को होने तथा बाद मे पटटे की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 1.8.2022 को मिलने से आलोच्य निर्णय की निगरानी अन्दर मयाद पेश की गयी है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा विधि सम्मत है क्योकि अप्रार्थी द्वारा उक्त पटटा चाहने बाबत दिनांक 18.2.2019 को ग्राम पंचायत शिवाड के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अपनी कब्जा शुद्वा भूमि का पटटा चाहने का पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया एक माह तक कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर तीन वार्ड मेम्बर से मौका दिखवाया गया है दिनांक 4.6.2019 को मौका देखकर मौका रिपोर्ट तैयार कर ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत की जाने पर दिनांक 6.12.2019 को पटटा जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत सम्पादित की गयी है। यह तर्क भी दिया कि उक्त पटटा रजिस्टर्ड है इसलिए उक्त पटटे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त कथन के समर्थन में **WLN 1979 Page 24-30** पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर काफी समय से कब्जा है इस बाबत पूर्व में रसीद संख्या 682 दिनांक 10.2.1985 से 200/–रू एवं रसीद संख्या 957 दिनांक 1.5.1985 से राशि 115/–रू ग्राम पंचायत शिवाड मे पटटा बाबत रामनिवास, रामरतन पुत्र माधो जाट के नाम से राशि जमा करवायी गयी थी। इसलिए प्रार्थी का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी ग्राम शिवाड का रहने वाला नही है ओर विवादित भूखण्ड पर उसका कब्जा नही है। पटटे के स्थान पर किसी प्रकार का कोई नाला नही है ग्राम शिवाड का निवासी होने के समर्थन में ग्राम शिवाड बी के खाता संख्या 529 की जमाबन्दी एवं बिजली के बिल की प्रति पेश की गयी। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि पटटा पत्रावली मे आदेशिका, निर्णय, इत्यादि एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे जाने बाबत किया गया कथन एफएसएल जॉच का विषय है जिसपर इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। वार्ड मेम्बर द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट आदेशिका पर 20.5.2019 के बाद प्रस्तुत है। अतः वादी द्वारा बताये अनुसार प्रकिया में major lapse होना प्रतीत नही होता है। वादी का विवादित भूखण्ड पर कब्जा नही, इसलिए Locus standi स्पष्ट नही है। यदि नाले/बहाव क्षेत्र मे पटटा जारी हुआ है,तो इस विषय मे तहसीलदार जॉच करे एवं यदि प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अन्तर्गत बनता है तो संबंधित न्यायालय मे रैफरेन्स पेश कर सकते हैं। ग्राम पंचायत शिवाड की 1985 की रसीद से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी का भूमि पर कब्जा था। अतः विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी मे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी पटटा संख्या 77 दिनांक 28.12.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभि[illegible] जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:01:58 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner